भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 615

25 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

पीएमएवाई-यू के तहत सब के लिए आवास

615. श्री नरेश गणपत म्हस्के:

श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी:

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

श्री प्रवीण पटेल:

श्री जी. लक्ष्मीनारायण:

श्री श्रीभरत मथुकुमिल्लि:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत सब के लिए आवास उपलब्ध कराने के संबंध में कोई आंकड़े है;
(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विजयनगरम, अनंतपुर और विशाखापत्तनम में पीएमएवाई-यू के तहत लाभार्थियों को स्वीकृत/निर्मित/पूर्ण और आवंटित किए गए आवासों की संख्या का ब्यौरा क्या है;
(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रदान की गई और उपयोग की गई धनराशि का वर्ष-चार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है और विजयनगरम, अनंतपुर और विशाखापत्तनम में इस संबंध में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी कितनी है;
(घ) निर्माणाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा तय की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) विजयनगरम, अनंतपुर और विशाखापत्तनम में पीएमएवाई परियोजनाओं के निष्पादन में आने वाली चुनौतियों या विलंब का ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (च): जी, हां। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) देश भर के सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए 25 जून, 2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू)-'सभी के लिए आवास'

मिशन को कार्यान्वित कर रहा है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर मंत्रालय द्वारा शहरी क्षेत्रों के लिए कुल 118.63 लाख आवास संस्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 114.33 लाख निर्माणाधीन है और 15.07.2024 तक 85.04 लाख आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है/ लाभार्थियों को सुपुर्द किए जा चुके हैं। शेष आवास निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। पीएमएवाई-यू के तहत संस्वीकृत परियोजनाओं की निर्माण अवधि अनुमोदन की तारीख से 12-36 महीने के बीच है। मंत्रालय शेष आवासों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मासिक आधार पर कठोर समीक्षा करता है। तथापि, इस योजना को सीएलएसएस घटक को छोड़कर 31.12.2024 तक बढ़ा दिया गया है, ताकि वित्तपोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना संस्वीकृत सभी आवासों का निर्माण कार्य पूरा किया जा सके।

पिछले पांच वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान विजयनगरम, अनंतपुर और विशाखापत्तनम में पीएमएवाई-यू के तहत जारी और उपयोग की गई केंद्रीय सहायता सहित लाभार्थियों के लिए संस्वीकृत, निर्माणाधीन, पूर्ण/सुपुर्द किए गए आवासों की संख्या का ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है। पिछले पांच वर्षों और मौजूदा वर्ष के साथ-साथ पीएमएवाई-यू योजना की शुरुआत से लेकर अब तक एएचपी/बीएलसी/आईएसएसआर घटकों के तहत जारी और उपयोग की गई केंद्रीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक-II में दिया गया है।

*****

दिनांक 25-07-2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 615 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

पीएमएवाई-यू के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान विजयनगरम, अनंतपुर और विशाखापत्तनम में जारी और उपयोग की गई केंद्रीय सहायता सहित लाभार्थियों के लिए संस्वीकृत, निर्माणाधीन, पूर्ण/सुपुर्द किए गए आवासों की संख्या का ब्यौरा

क्रम सं.	विवरण		पिछले पांच वर्षों के दौरान (2019-2024)		
			विजयनगरम	अनंतपुर	विशाखापत्तनम
1	आवासों का निर्माण (संख्या में)	संस्वीकृत	60,219	59,342	1,27,143
2		निर्माणाधीन	62,158	65,093	1,36,179
3		पूर्ण किए गए	43,465	32,364	45,803
4	केन्द्रीय सहायता (करोड़ रूपये)	जारी की गई	810.88	656.25	1,614.56
5		उपयोग की गई	610.74	537.95	990.27

दिनांक 25-07-2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 615 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

पिछले पांच वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान पीएमएवाई-यू के एएचपी/बीएलसी/आईएसएसआर घटक के अंतर्गत जारी और उपयोग की गई केंद्रीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	योजना की शुरूआत से अब तक		पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष (वित्त वर्ष 2019-25) के दौरान	
		जारी केंद्रीय सहायता	उपयोग की गई केंद्रीय सहायता	जारी केंद्रीय सहायता	उपयोग की गई केंद्रीय सहायता
1	अंडमान और निकोबार द्वीप (यूटी)	2.37	2.32	2.14	1.97
2	आंध्र प्रदेश	22,321.61	19,100.78	16,326.84	13,241.00
3	अरुणाचल प्रदेश	159.55	144.70	71.08	52.27
4	असम	1,983.59	1,848.69	1,641.70	1,485.47
5	बिहार	2,912.13	2,317.89	1,643.55	1,044.19
6	चंडीगढ़ (यूटी)	-	-	-	-
7	छत्तीसगढ़	3,256.12	2,935.31	2,334.36	2,074.85
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव (यूटी)	25.30	19.33	3.37	1.75
9	दिल्ली (यूटी)	-	-	-	-
10	गोवा	0.36	0.36	-	-
11	गुजरात	4,007.32	3,564.86	2,511.47	1,806.47
12	हरियाणा	669.85	404.23	260.54	32.85
13	हिमाचल प्रदेश	144.55	137.25	88.23	61.33
14	जम्मू एवं कश्मीर (यूटी)	412.66	337.16	330.77	243.79
15	झारखंड	2,663.81	2,416.29	1,332.55	977.60
16	कर्नाटक	4,799.73	4,039.36	2,310.02	1,612.81
17	केरल	1,550.43	1,416.02	705.44	560.71
18	लद्दाख (यूटी)	23.07	7.39	6.30	4.44

19	लक्षद्वीप (यूटी)	-	-	-	-
20	मध्य प्रदेश	11,312.82	10,751.50	6,185.50	5,539.09
21	महाराष्ट्र	4,149.16	2,740.81	3,612.08	2,202.84
22	मणिपुर	467.57	410.00	298.51	240.94
23	मेघालय	39.26	20.35	34.86	15.94
24	मिजोरम	407.56	213.38	306.06	249.70
25	नागालैंड	392.67	303.16	241.18	152.46
26	ओडिशा	2,212.56	2,022.22	1,402.79	1,306.84
27	पुडुचेरी (यूटी)	176.71	124.17	121.20	67.31
28	पंजाब	695.63	611.49	530.97	452.25
29	राजस्थान	1,396.38	1,027.31	945.70	613.80
30	सिक्किम	2.86	0.08	-	-
31	तमिलनाडु	7,460.64	7,160.61	4,603.48	4,203.12
32	तेलंगाना	1,668.09	1,120.72	485.00	-
33	त्रिपुरा	1,212.06	1,158.19	592.71	486.91
34	उत्तर प्रदेश	22,572.92	21,202.24	16,965.55	16,799.52
35	उत्तराखंड	497.41	369.03	288.96	177.80
36	पश्चिम बंगाल	5,659.85	4,573.66	3,360.75	2,277.56
कुल		**1,05,256.59**	**92,500.85**	**69,543.66**	**57,987.58**